विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन तीन भागों में है:

भाग-अ झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के विभागों/इकाइयों के लेखापरीक्षा परिणाम से संबंधित है;

भाग-ब राजस्व प्रक्षेत्र के विभागों/इकाइयों के लेखापरीक्षा परिणाम से संबंधित है; तथा

भाग-स राज्य सार्वजनिक उद्यमों के लेखापरीक्षा परिणाम से संबंधित है।

भाग-अ: सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

इस भाग में दो अध्याय हैं। प्रथम अध्याय लेखापरीक्षा की आयोजना तथा सीमा एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा इन पर की गई कार्रवाई दिखाता है। अध्याय-।। दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्रणालीक कमियों, हानि, बेकार/ निष्फल/ निष्क्रिय व्यय, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, अनुचित पक्षपात, अधिक भुगतान आदि से आच्छादित इस भाग में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल धन मूल्य ₹ 29.15 करोड़ है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन सांख्यिकीय नमूनाकरण पद्धति पर किया गया है। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है। राज्य सरकार के मंतव्यों पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए हैं तथा अनुशंसाएं की गई हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे सारांशित किया गया है:

2.1 दन्त चिकित्सा संस्थान, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची के लिए मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय पर अनुपालन लेखापरीक्षा

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची (रिम्स) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन झारखण्ड सरकार का एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान है। दन्त शल्य-चिकित्सा के स्नातक (बीडीएस) पाठ्यक्रम में वार्षिक 50 प्रवेशों की क्षमता के साथ एक दन्त चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक सत्र 2017-18 से, रिम्स में प्रारंभ किया गया, जिसके लिए ₹ 37.17 करोड़ मूल्य के 176 प्रकार के दन्त चिकित्सकीय उपकरणों का क्रय किया गया। विभागीय सचिव के आग्रह पर रिम्स में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक दन्त चिकित्सा संस्थान, रिम्स के लिए क्रयित उपकरणों की लेखापरीक्षा जुलाई 2019 एवं मई 2020 के बीच यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या निविदा की प्रक्रिया नियमानुकूल थी और उपकरण मितव्ययितापूर्वक क्रय किए गए थे। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे सारांशित हैं:

➢ दन्त चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 5.80 करोड़ के मूल प्रस्ताव, जैसा कि अधिशासी परिषद द्वारा अनुमोदित था, के विरुद्ध रिम्स निदेशक ने झारखण्ड सरकार को ₹ 9.29 करोड़ का विस्तृत बजट प्रस्तुत किया। हालांकि, रिम्स ने 2014-19 के

दौरान ₹ 37.17 करोड़ मूल्य के दन्त चिकित्सा उपकरणों का क्रय किया, जो बजट का 400 प्रतिशत था।

(कंडिका 2.1.2)

➢ जनवरी 2016 में आमंत्रित एक निविदा में, तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रस्ताव को भारांक देते हुए निविदा की शर्तों के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन बिना कोई कारण दर्ज किए संयुक्त भारांक प्रतिरूप पर नहीं किए गए। क्रय एवं तकनीकी समितियों ने किसी भी चरण में कोई भारांक दिए बिना तकनीकी अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं के उद्धृत दरों में से न्यूनतम दर को अनुमोदित कर दिया। इस निविदा से ₹ 18.52 करोड़ मूल्य के 20 उपकरण खरीदे गए।

(कंडिका 2.1.3.1)

➢ स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बावजूद रिम्स निदेशक ने ₹ 5.40 करोड़ के बकाया विपत्र भुगतान के पूर्व, न तो आरोपी अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की प्रति-जाँच की न ही समान प्रकार के उपकरणों के बाजार मूल्य अथवा अन्य संस्थानों द्वारा क्रयित क्रय मूल्य का सर्वेक्षण किया और आगे स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी लिए बिना ₹ 11.40 करोड़ मूल्य के उपकरण उसी आपूर्तीकर्ता से खरीद लिया।

(कंडिका 2.1.3.2)

➢ निविदाओं का निर्णय वित्त एवं लेखा समिति ने नहीं किया, जबकि रिम्स विनियमों के तहत यह आवश्यक था। बल्कि विनियम में बिना किसी परिभाषित भूमिका वाली दो समितियों (क्रय समिति एवं तकनीकी समिति) को रिम्स द्वारा निविदा निर्णय का कार्य सौंपा गया।

(कंडिका 2.1.3.3)

➢ ₹ 25.70 करोड़ मूल्य के मूल एवं उन्नत डेंटल चेयर, चलंत डेंटल वैन तथा 15 अन्य उपकरणों की खरीद के लिए एक बोलीकर्ता के पक्ष में तकनीकी अर्हता निर्णय में पक्षपात के अलावा बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में समानता एवं पारदर्शिता का अभाव था।

(कंडिका 2.1.4)

➢ रिम्स ने दन्त चिकित्सा उपकरणों (चेयरों, चलंत डेंटल वैन तथा आरवीजी) पर, बजट अनुमानों में दिए दरों की तुलना में ₹ 14.25 करोड़ का अपरिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.1.5)

➢ मूल डेंटल चेयरों, उन्नत डेंटल चेयरों तथा चलंत डेंटल वैन के संलग्नक एवं अनुषंगी-यंत्र या तो गायब थे या निम्न विशिष्टताओं वाले थे। दस में से दो रेडियोविजिओग्राफी प्रणाली अन्य मॉडल के थे। रिम्स विलंबित आपूर्ति के लिए ₹ 2.37 करोड़ का जुर्माना लगाने में भी विफल रहा।

(कंडिकाएं 2.1.6 और 2.1.7)

➢ दन्त चिकित्सा संस्थान को आपूर्ति किए गए ₹ 12.02 करोड़ मूल्य के उपकरण भंडार में दर्ज नहीं पाए गए थे और इस प्रकार इनके दुरुपयोग की आशंका थी।

(कंडिका 2.1.8)

➢ प्रयोगशाला एवं शल्य-क्रिया कक्ष (ओटी) के लिए खरीदे गए (अगस्त 2016) ₹ 1.94 करोड़ मूल्य के उपकरण भंडारों में बेकार पड़े थे, क्योंकि प्रयोगशालाएँ एवं ओटी मई 2020 तक स्थापित नहीं हुई थीं। ओटी में उपयोग हेतु अगस्त 2016 में खरीदे गए ₹ 17.85 लाख के कीटाणुनाशक कालातीत हो गए थे।

(कंडिका 2.1.8)

भाग-ब: राजस्व क्षेत्र

इस अनुभाग में व.एवं.से.क. रिफन्ड पर एक लेखापरीक्षा और वाणिज्य कर विभाग में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में राज्य उत्पाद और खनन एवं भूतत्व विभाग में खनन प्राप्तियों से सम्बंधित 10 कंडिकायें सम्मलित हैं। अनुभाग-ब का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,138.20 करोड़ है, जो वर्ष 2019-20 के कर एवं कर-भिन्न राजस्व का 4.46 प्रतिशत है। उपरोक्त में से, सम्बंधित विभागों ने ₹ 338.73 करोड़ के अवलोकनों को स्वीकार किया। कुछ प्रमुख निष्कर्षों के सार नीचे दिए गए हैं।

1.1 सामान्य

वर्ष 2019-20 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 58,417.14 करोड़ थी। राज्य सरकार ने कुल ₹ 25,521.43 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 43.69 प्रतिशत) राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 32,895.71 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 56.31 प्रतिशत) जिसमें विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 20,593.04 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 35.25 प्रतिशत) और सहायत अनुदान ₹ 12,302.67 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 21.06 प्रतिशत) था। 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व में 13.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में गैर-कर राजस्व में 5.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.2)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व और खनन प्राप्तियों का राजस्व बकाया राशि ₹ 12,179.30 करोड़ था, जिसमें से ₹ 2,898.27 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था।

(कंडिका 1.3)

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

व.एवं.से.क. रिफन्ड पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन सम्मलित हैं:

समुचित अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और 19 मामलों में रिफन्ड आवेदनों की अभिस्वीकृति, रिफन्ड आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की

निर्धारित अवधि के उपरांत नौ से 246 दिनों के बीच के विलम्ब से जारी किए। इसके अलावा, 12 मामलों में अभिस्वीकृति आदिनांक जारी नहीं किए गए।

(**कंडिका 2.3.6.1**)

समुचित अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और 12 मामलों में प्रपत्र *जी.एस.टी. आर.एफ़.डी.*-03 में कमियों को संप्रेषित करने के लिए, दावा दाखिल करने से 15 दिनों तक की निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ज्ञापन जारी करने में तीन से 215 दिनों के बीच का विलम्ब हुआ।

(**कंडिका 2.3.6.2**)

रिफन्ड प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों की निगरानी के लिए प्रणाली के अभाव में, नौ मामलों में स्वीकृत ₹ 5.97 लाख की राशि का भुगतान दावेदारों को नहीं किया गया, जबकि 33 रिफन्ड मामलों में भुगतान 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त विलम्ब से किया गया, परिणामस्वरूप विभाग ₹ 5.48 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

(**कंडिका 2.3.6.3**)

समुचित अधिकारी ने निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया और आठ मामलों में औपबंधिक रिफन्ड, अभिस्वीकृति जारी करने की तिथि से सात दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त सात से लेकर 99 दिनों के बीच के विलम्ब से स्वीकृत किया।

(**कंडिका 2.3.6.4**)

समुचित अधिकारी, विभाग के पास उपलब्ध *जी.एस.टी.आर*- 3ब में मासिक विवरणी की तिर्यक जाँच करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप दावेदार को ₹ 0.15 लाख की रिफन्ड का गलत अनुमत्य हुआ।

(**कंडिका 2.3.6.5**)

झा.व.एवं.से.क. अधिनियम और पूर्व में निरस्त किए गए अधिनियमों के बकाए राशियों को संक्रमिक करने के लिए तंत्र के अभाव में रिफन्ड दावे के दो मामलों से ₹ 0.42 लाख के बकाए को समायोजित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.42 लाख के रिफन्ड का अधिक भुगतान हुआ।

(**कंडिका 2.3.6.6**)

1.2 अन्य अवलोकन

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप 39 व्यवसायियों द्वारा ₹ 3,271.08 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹ 812.99 करोड़ के कर एवं शास्ति का अवनिर्धारण हुआ।

(**कंडिका 2.4**)

निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्रय छिपाए जाने के कारण नौ व्यवसायियों के आवर्त को बढाया एवं ₹ 43.84 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया परन्तु ₹ 131.51 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 2.5)

14 वाणिज्य कर अंचलों के निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 2,264.96 करोड़ के छूटों, रियायतों या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया। हालाँकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 102.24 करोड़ के ब्याज़ का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.6)

निर्धारण प्राधिकारियों ने 29 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान ₹ 85.70 करोड़ के बदले ₹ 109.51 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.81 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

(कंडिका 2.7)

निर्धारण प्राधिकारियों ने सात व्यवसायियों के मामले में ₹ 2,407.40 करोड़ के बदले ₹ 1,962.03 करोड़ का स.आ./क.दे.आ. निर्धारित किया, परिणामस्वरूप ₹ 445.37 करोड़ कम स.आ. का निर्धारण हुआ और फलस्वरूप ₹ 22.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.8)

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान कर की गलत दरें आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के कर का अल्परोपण हुआ।

(कंडिका 2.9)

निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 92.59 करोड़ के आवर्त पर पाँच प्रतिशत के.बि.क. और झा.मू.व.क. के अंतर्गत 14 प्रतिशत आरोप्य कर की दरों के बदले दो प्रतिशत की रियायती दर से के.बि.क. आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ के.बि.क. का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.11)

1.3 खनन एवं भूतत्व विभाग

अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वामिस्व की दर को सत्यापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.42 करोड़ की स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.15)

1.4 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

विभाग न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव को सुनिश्चित करने हेतु कोई कारवाई नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप शराब का कम उठाव हुआ और उत्पाद शुल्क ₹ 2.07 करोड़ की हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.18)

भाग-स: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह भाग 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा परिणामों से संबंधित है तथा इसे समय-समय पर संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के तहत झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस भाग में दो अध्याय हैं। अध्याय-I झारखण्ड की सरकारी कंपनियों के कामकाज से संबंधित है। अध्याय-II में "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री और माल प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

1.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) का कामकाज

यह अध्याय झारखण्ड सरकार तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ सरकारी कंपनियों एवं सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सार प्रस्तुत करता है। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) को वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को अंजाम देने तथा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने हेतु स्थापित किया गया था।

एक सरकारी कंपनी अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित कोई अन्य कंपनी सीएजी के लेखापरीक्षा का विषय है।

31 मार्च 2020 को झारखण्ड में 31 एसपीएसई (03 निष्क्रिय एसपीएसई सहित) थे। इस भाग में 31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर तैयार किए गए एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन को शामिल किया गया है।

31 अगस्त 2021 तक नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई ने ₹ 7,739.34 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया अर्थात् 2018-19 के विरुद्ध 2019-20 में 17.43 प्रतिशत की वृद्धि। यह टर्नओवर वर्ष 2019-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 3,28,598 करोड़) के 2.36 प्रतिशत के बराबर था। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई को ₹ 1,354.20 करोड़ की हानि हुई।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा किसी भी औद्योगिक गतिविधि को संचालित करने हेतु एक प्रमुख घटक है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विखंडन तथा जेएसईबी की परिसंपत्तियों, संपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाही और कर्मियों को ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (यानी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) को हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना, 2013 (जेएसईआरटी 2013) तैयार की (06 जनवरी 2014)। ऊर्जा क्षेत्र की ये चार कंपनियाँ 06 जनवरी 2014 से अस्तित्व में आईं और जेएसईआरटी योजना, 2013 के प्रावधानों

के अनुसार राज्य सरकार की देनदारियों को छोड़कर जेएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ इन कंपनियों में वितरित हुईं।

इन चार कंपनियों के अलावा, जेएसईआरटी योजना, 2013 से पूर्व चार अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ निगमित हुईं थीं। उक्त चार कंपनियों में से एक कंपनी अर्थात् तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड एक ऊर्जा उत्पादन कंपनी है और अन्य तीन कंपनियाँ अर्थात् कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड तथा पतरातू एनर्जी लिमिटेड झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ हैं (नवंबर 1987 से अक्टूबर 2012)। इन आठ ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में से तीन कंपनियाँ 2019-20 तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं।

गैर-ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का ढाँचा

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार की कंपनियाँ, सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और सहायक कंपनियाँ शामिल हैं, जो गैर-ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनमें सभी कार्यशील सरकारी कंपनियाँ, एक कार्यशील अन्य सरकार-नियंत्रित कंपनी और एक कार्यशील सहायक कंपनी शामिल हैं।

(कंडिका 1.1.1)

सरकारी कंपनियों में निवेश

एसपीएसई में क्षेत्रवार सारांश के साथ कुल निवेश

2019-20 के लेखाओं अथवा एसपीएसई की सूचना के अनुसार 31 मार्च 2020 तक 31 एसपीएसई में ₹ 19,696.52 करोड़ का निवेश (पूँजीगत और दीर्घकालिक ऋण) था। इस कुल निवेश में 23.40 प्रतिशत चुकता पूँजी और 76.60 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे।

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में निवेश

31 मार्च 2020 तक आठ ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 19,281.29 करोड़ था। निवेश में ₹ 4,244.02 करोड़ (22.01 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 15,037.27 करोड़ (77.99 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल थे।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई में कुल निवेश 43.90 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी।

झारखण्ड सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अंश-पूँजी के 92.06 प्रतिशत (₹ 4,244.02 करोड़) और ऋण के 99.67 प्रतिशत (₹ 15,037.27 करोड़) का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में था।

एसपीएसई में निवेश (गैर-ऊर्जा क्षेत्र)

31 मार्च 2020 तक, गैर-ऊर्जा क्षेत्र के 23 एसपीएसई में कुल निवेश (अंश-पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 415.23 करोड़ था। निवेश में ₹ 365.84 करोड़ (88.11 प्रतिशत) अंश-पूँजी और ₹ 49.39 करोड़ (11.89 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण शामिल थे।

(कंडिका 1.1.2)

सरकारी कंपनियों से प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का प्रदर्शन

वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई का निवल मूल्य धनात्मक था। संचित घाटे में वृद्धि के कारण 2015-16 में ₹ 2083.29 करोड़ का निवल मूल्य 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ (-)4022.13 करोड़ हो गया।

एसपीएसई (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन

पाँच-वर्ष की अवधि के दौरान कार्यशील एसपीएसई का संयुक्त निवल मूल्य धनात्मक था। शेयर पूँजी में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2015-16 से 2019-20 में निवल मूल्य घट गई थी।

(कंडिका 1.1.3)

एसपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

सभी ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा वर्ष 2019-20 की लेखाओं को 30 सितंबर 2020 तक प्रस्तुत करना था। किसी भी सरकारी कंपनी ने 30 सितंबर 2020 या उससे पहले वर्ष 2019-20 की अपनी लेखाओं को सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया। पाँच एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरण 31 अगस्त 2021 तक जमा कर दिए थे। 01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, 23 एसपीएसई में से 11 ने 18 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए एक लेखे और पिछले वर्षों के 17 लेखाएँ शामिल थीं। इस प्रकार, 21 एसपीएसई के 66 लेखे बकाया थे।

वर्ष 2019-20 के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों के लेखाओं को अंतिमीकरण के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि निवेश एवं व्यय का समुचित लेखाकरण किया गया था और राशि का निवेश जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसे प्राप्त कर लिया गया।

(कंडिका 1.1.8)

2.1 "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री और माल प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की स्थापना वन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा वन-उत्पाद आधारित उद्योगों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा, अधिकतम वित्तीय लाभ हेतु इसे वन उत्पादन को बढ़ावा देना और लघु वन-उत्पाद (एमएफपी) के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यावसायिक प्रबंधन करना तथा वन उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन करना था। कंपनी मुख्य रूप से केंदु-पत्ता (केएल) के विपणन का कार्य करती है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए "झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विपणन, बिक्री

और माल प्रबंधन" पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि कंपनी में विपणन, विक्रय और माल प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रणाली मौजूद थी। प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम नीचे सारांशित हैं:

जेएसकेएलपी अथवा अन्य विधानों में केएल की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठूंठ काटने या अन्य उपयुक्त व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि कंपनी ने केंदु-पत्ता ऋतु 2008 के लिए केंदू झाड़ियों की ठूंठ काटने हेतु निर्देश (फरवरी 2008) जारी किया था परंतु बाद में इसे जारी नहीं रखा जा सका। परिणामस्वरूप, 300 में से 232 (77 प्रतिशत) केएल लॉट की औसत उपज अधिसूचित उपज से कम थी जिसमें 123 ऐसे लॉट शामिल थे जहां वास्तविक उपज 30 से 89 प्रतिशत कम थी।

(कंडिका 2.1.2.1)

जुलाई 2021 तक केएल लॉट की अधिसूचित उपज की मात्रा को 36 वर्षों के उपरांत भी पुनराकलन नहीं किया गया। केएल ऋतु-वर्ष 2015 से 2019 के 1499 में से 495 केएल लॉट (33 प्रतिशत), जिसकी अधिसूचित उपज की मात्रा 12.63 लाख मानक बोरियाँ (बोरी) थीं, बिना बिके रह गए। बिना बिके लॉटों का आरक्षित मूल्य ₹ 74.38 करोड़ था।

(कंडिका 2.1.2.1)

नमूना-जाँचित चार प्रमंडलों (डाल्टेनगंज, धालभूम, हजारीबाग एवं राँची) में, कंपनी ने केएल ऋतु-वर्ष 2015 से 2019 के दौरान ₹ 17.14 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरुद्ध मात्र ₹ 8.57 करोड़ (अतिरिक्त संग्रहित मात्रा का 50 प्रतिशत) की वसूली की। इसके अलावा, ऋतु-वर्ष 2016 से 2019 के दौरान 1.01 लाख बोरी के अधिक संग्रहण के लिए ₹ 5.82 करोड़ की अतिरिक्त संग्रहण लागत प्राथमिक संग्राहकों (पीसी) को मार्च 2021 तक भुगतान नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.1.2.3 तथा 2.1.3.2)

केएल ऋतु-वर्ष 2016 से 2019 के दौरान, 8.52 लाख बोरी अधिसूचित उपज वाले 333 लॉट बिना बिके रह गए। विभागीय संग्रहण की सुगमता हेतु विभाग ने कंपनी को ₹ 61.93 करोड़ जारी नहीं किए, जबकि कंपनी द्वारा मांगे गए थे (अप्रैल 2016 एवं फरवरी 2019)। कंपनी ने इन लॉटों के लिए वास्तविक आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने की संभावनाएं भी नहीं तलाश की और इसलिए वे लॉट बिना कटाई किए रह गए और परिणामस्वरूप केएल व्यापार का प्राथमिक उद्देश्य अर्थात् पीसी के लिए आय सृजन, प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.3.1)

केएल ऋतु-वर्ष 2016 से 2018 के लिए 149 संग्राहक समितियां (सीसी) को विमुक्त किए गए ₹ 15.58 करोड़ की विकास निधि में से ₹ 15.16 करोड़ मार्च 2020 तक अप्रयुक्त रहे और सीसी के पास पड़े रहे।

(कंडिका 2.1.3.3)

39 गोदामों में से, सात गोदाम अच्छी स्थिति में थे, 23 में वृहत् मरम्मती की आवश्यकता थी तथा नौ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। राजस्व प्राप्ति का स्रोत होने के बावजूद कंपनी ने गोदामों की मरम्मती या नवीनीकरण की शुरुआत नहीं की, जबकि 2015-18 के दौरान किराया के रूप में ₹ 28.12 लाख की वसूली की गई थी।

(कंडिका 2.1.4.1)

वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास के अलावा कंपनी का मुख्य उद्देश्य वन उत्पाद और उत्पादकता में तेजी लाकर परियोजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और जारी रखना था। कंपनी को लघु वन-उत्पादों (एमएफपी) के व्यावसायिक विक्रय एवं प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देना तथा प्रबंधन करना था। कंपनी ने मार्च 2020 तक अपनी गतिविधियों का विस्तार नहीं किया था और अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ वनवासियों के लिए रोजगार सृजन का अवसर को भी जाने दी।

(कंडिका 2.1.5.2)

कंपनी ने ₹ 1.25 करोड़ के उपकर तथा टिम्बर बिक्री मूल्य की ₹ 42.14 करोड़ राशि को सरकारी खातों में प्रेषित नहीं किया।

(कंडिका 2.1.5.3 तथा 2.1.5.4)